

(वन अनुभाग-3 उ.प्र. शासन की पत्र सं. 7314/14-3-980/82 दिनांक- 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रसंगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मॉगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति, नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जावेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श साठनि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता साठनि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या-608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि आवश्यक मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचों करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

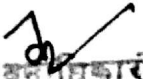
प्रभागीय वन अधिकारी
रेतुक्द वन प्रभाग
पिपरी, सोनभद्र

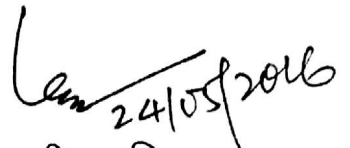
अधिशायी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र

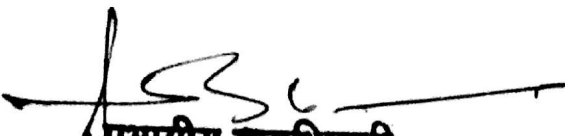
प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढमगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे० वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे०) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता 100 वर्षों के लिए है, किन्तु वन विभाग के नियमानुसार लीज अवधि 25 वर्षों की होने के कारण 25 वर्ष की माँग की गयी है। आगे की अवधि हेतु तत्समय के नियमानुसार लीज का नवीनीकरण कराया जायेगा।


अध्यायीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट, सोनभद्र

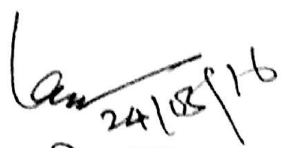

24/05/2016
अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र


अध्यायीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढमगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे० वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे०) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार/उ.प्र.सरकार द्वारा एन.पी.वी.की धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में जो शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।


अधिशासी अभियन्ता
रेनुकूट वन प्रभाग
पिपरी-सोनभद्र


अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र

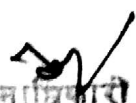

अधिशासी अभियन्ता
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढमगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे० वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे०) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित गैर वन भूमि पर वनीकरण करने हेतु जो भी धनराशि की माँग की जायेगी उसे जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।



अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र



अध्यायीय वन अधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग
दुद्धी, सोनभद्र